

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Law and Legal Affairs Department

Reg No.
25.18

No. F. 13 (2) Nyay/2016

Jaipur, dated : 29.03.2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 73 read with section 66 of the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 (Act No. 23 Of 1961) and all other enabling powers, the State Government hereby makes the following rules, namely:

THE RAJASTHAN COURT FEES (e-PAYMENT) RULES, 2016

- 1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Rajasthan Court Fees (e-Payment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force at once.
- 2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires:-
 - (i) "Act" means the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 (Act No. 23 Of 1961);
 - (ii) "fees" means the fees payable under the Act;
 - (iii) "electronic method" means any method of payment assisted by electronic devices or equipments and includes online banking, e-stamping, e-GRAS, etc.
- 3. e-Payment of fees.** - The fees payable under the Act may also be paid through any authorized electronic method.

By Order of H.E. the Governor

(Manoj Kumar Vyas)

Principal Secretary to the Government

Copy: Forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Secretary to H.E. the Governor/Secretary to Hon'ble Chief Minister Government of Rajasthan
2. Private Secretary to Hon'ble Central Law Minister Government of India, New Delhi.
3. Special Assistant to Hon'ble Law Minister Government of Rajasthan.
4. Joint Secretary Department of Justice Ministry of Law and Justice Government of India, New Delhi.
5. Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) Udyog Bhawan, Government of India, New Delhi.
6. Chief Secretary Government of Rajasthan.
7. Commissioner of Industries & Secretary, Corporate Social Responsibility (C.S.R) Government of Rajasthan, Jaipur.
8. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodpur.
9. Registrar (Admn.) Rajasthan High Court, Jaipur Bench, Jaipur.
10. All District Collector/ District and Session Judge/ Chief Judicial Magistrate, Rajasthan.
11. Director General, Police/ Jail, Rajasthan Jaipur.
12. Law Secretary, Litigation, Government Secretariat, Jaipur.
13. Director, Prosecution, Government Secretariat, Jaipur.
14. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for Publication in the Extra Ordinary Part of Official gazette (With C.D.).
15. Director Department of Public Relation and Information.
16. Programmer, Law & Legal Affairs Department
17. Guard files.

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
अधीनस्थ न्यायालय (स्थापना शाखा)

क्रमांक 1305
दिनांक 11/9/16

(Dr. Kailash Chandra Atawasia)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

सं. एफ. 13(2) न्याय/2016

जयपुर, दिनांक : 29.08.2016

अधिसूचना

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23) की धारा 66 के साथ पठित धारा 73 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान न्यायालय फीस (ई-संदाय) नियम, 2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायालय फीस (ई-संदाय) नियम, 2016 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) "अधिनियम" से राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23) अभिप्रेत है;
 - (ii) "फीस" से अधिनियम के अधीन संदेय फीस अभिप्रेत है;
 - (iii) "इलैक्ट्रॉनिक रीति" से इलैक्ट्रॉनिक साधनों या उपकरणों की सहायता से संदाय की कोई रीति अभिप्रेत है और इसमें आनलाइन बैंकिंग, ई-स्टाम्पिंग, ई-ग्रास, इत्यादि सम्मिलित हैं।
3. फीस का ई-संदाय.- इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस किसी प्राधिकृत इलैक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से भी संदत्त की जा सकेगी।

राज्यपाल के आदेश से
29/8/16
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय केन्द्रीय विधि मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त सचिव, न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. आयुक्त कम एवं शासन सचिव, उद्योग एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
11. महानिदेशक, आरक्षी/जेल राजस्थान जयपुर।
12. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० कैलाश चन्द्र अट्वासिया)
संयुक्त शासन सचिव